FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election When Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From **Bharatpur -073** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read With rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

DR. SUBHASH GARG Address B-84 RANJEET NAGAR BHATPUR (RAJ.) RASHTRIYA LOK DAL political party has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place : Bharatpur

Date: 11-12-2018

(Pushkar Kumar Mittal)
Returning Officer
Bharatpur-073

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

भरतपुर -073 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

डॉ० सुभाष गर्ग पता बी-84 रनजीत नगर, भरतपुर (राज०) द्वारा प्रयोजित राष्ट्रीय लोक दल (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान:- भरतपुर

तारीख: 11.12.2018

(पुष्कर कुमार मित्तल) रिटर्निंग आफिसर विधानसभा क्षेत्र भरतपुर— 073